>

Title: Need to enact a legislation to remove the Net Present Value (NPV) provisions for setting up of irrigation projects in the forest areas of the country.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की वसूली की जाती है। निवल वर्तमान मूल्य का निर्धारण करते समय केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही वसूली का मूल्य अधिक होने के कारण जिन क्षेत्रों में वन भूमि की अधिकता है, ऐसे स्थानों पर सिंचाई परियोजनाओं का लागत मूल्य बढ़ जाता है। साथ ही उसके कारण बेनिफिट कास्ट बढ़ने से संबंधित वित्त विभाग द्वारा उस सिंचाई परियोजनाओं की मान्यता रद्द की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वसूले जा रहे निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के कारण वन क्षेत्र और वन भूमि पर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में कठिनाई आ रही है। सिंचाई परियोजनाओं के कारण किसानों तथा कृषि क्षेत्र का विकास हो सकता है। केन्द्र सरकार कहती है कि सिंचाई परियोजनाएं राजस्व प्राप्ति का साधन नहीं, फिर निवल वर्तमान मूल्य के रूप में की जा रही वसूली का क्या औचित्य है। गरीब किसानों की वर्षाजल पर निर्भरता खत्म कर उन्हें बारह मासी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर समृद्धि की ओर ले जाने में सिंचाई परियोजना सहायता सिद्ध हो सकती है तथा वनक्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य पशु, पक्षियों के लिए और जल संग्रहण के रूप में भी यह उपयुक्त है। कृषि क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहे सिंचाई परियोजनाओं को निवल वर्तमान मूल्य के कारण निर्माण गतिरोध को देखते हुए इसे खत्म करने के लिए सरकार संसद के द्वारा एक कानून बनाये तथा वनक्षेत्र के किसानों को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम करें।